

Application No.:



RAS

Basera

PRIDE OF NH1

1 & 2 BHK APARTMENTS

Price Starting from

₹9.71/- Lacs Only

Approved Under Affordable Housing Policy of Haryana Government

हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति के तहत

Homes For All

It is time to break free from the shackles of paying a rent every month. A perfect opportunity for those who have always dreamt of having their own home. It is time to create your own memories with your loved ones with highly luxury homes at RAS Basera.



These beautifully designed homes are available at highly affordable prices. An ideal group housing project developed under the **Haryana Government Affordable Group Housing Scheme**. The project encompasses an area of 7.006 acres of land and consists of 21 towers with a total of 1091 units. These units are a mix of 1 BHK and 2 BHK apartments with prices all inclusive charged on carpet area.



FULFILLING ASPIRATIONS





KARNAL

Retail Complex

CHANDIGARH

G. T. Road (NH-1)



Project Highlights

- All Benefits as per Haryana Affordable Housing Scheme
- Safe Investment
- No EDC/IDC



- No Club Membership
- No Parking Charges
- No Fire Fighting Charges

- No Maintenance Charges for 5 Years
- No Super Area Charges



Special Benefits to Residents

- Free Club Membership
- Free Gym Facility*
- Free English Medium Play School Education*

*For Allottees for 1 year



Amenities

- High rise housing apartments
- Gated community
- Round-the-clock security
- Equipped with high speed elevators
- Dedicated power backup for common area.
- Play zone
- Jogging track
- Gym & party hall
- Ample parking
- Convenience stores for daily needs
- Shopping complex, Educational Institutes &
Hospitals nearby



Specifications

► Structure

- Earthquake resistant RCC structure designed as per the latest IS codes

► Drawing, Dining / Master Bedroom / Other Bedroom / Common Area

- Paint on the walls
- Tile / IPS flooring

► Doors & Windows

- Flush doors / Wooden / PVC / MSZ section windows with plain glass

► Toilets

- Ceramic tiles on the wall (upto 4 Feet)
- Flooring will be anti skid ceramic tile
- W.C and basin



► **Kitchen**

- Flooring will be anti skid ceramic tile
- Paint on the walls and Ceiling
- Marble Counter
- Single bowl sink
- Conventional fittings

► **Balconies**

- Weather proof and water repellent paint on walls
- CC tile flooring

► **Electrical Fittings**

- Concealed wiring with protective MCBs
- Light and electric switches in each room

► **Miscellaneous**

- Fire alarm system with fire extinguishers
- 24 Hrs water supply

Floor Plans



(1 BHK UNIT PLAN)

CARPET AREA - 310.09 SQ.FT
BALCONY AREA - 81.56 SQ.FT



(1 BHK TYPE-III UNIT PLAN)

CARPET AREA - 388.76 SQ.FT
BALCONY AREA - 100.00 SQ.FT



CARPET AREA - 367.899 SQ.FT
 BALCONY AREA - 100.00 SQ.FT

(1 BHK TYPE-II UNIT PLAN)

Floor Plans



CARPET AREA - 479.51 SQ.FT
BALCONY AREA - 100.00 SQ.FT

(2 BHK TYPE-I UNIT PLAN)

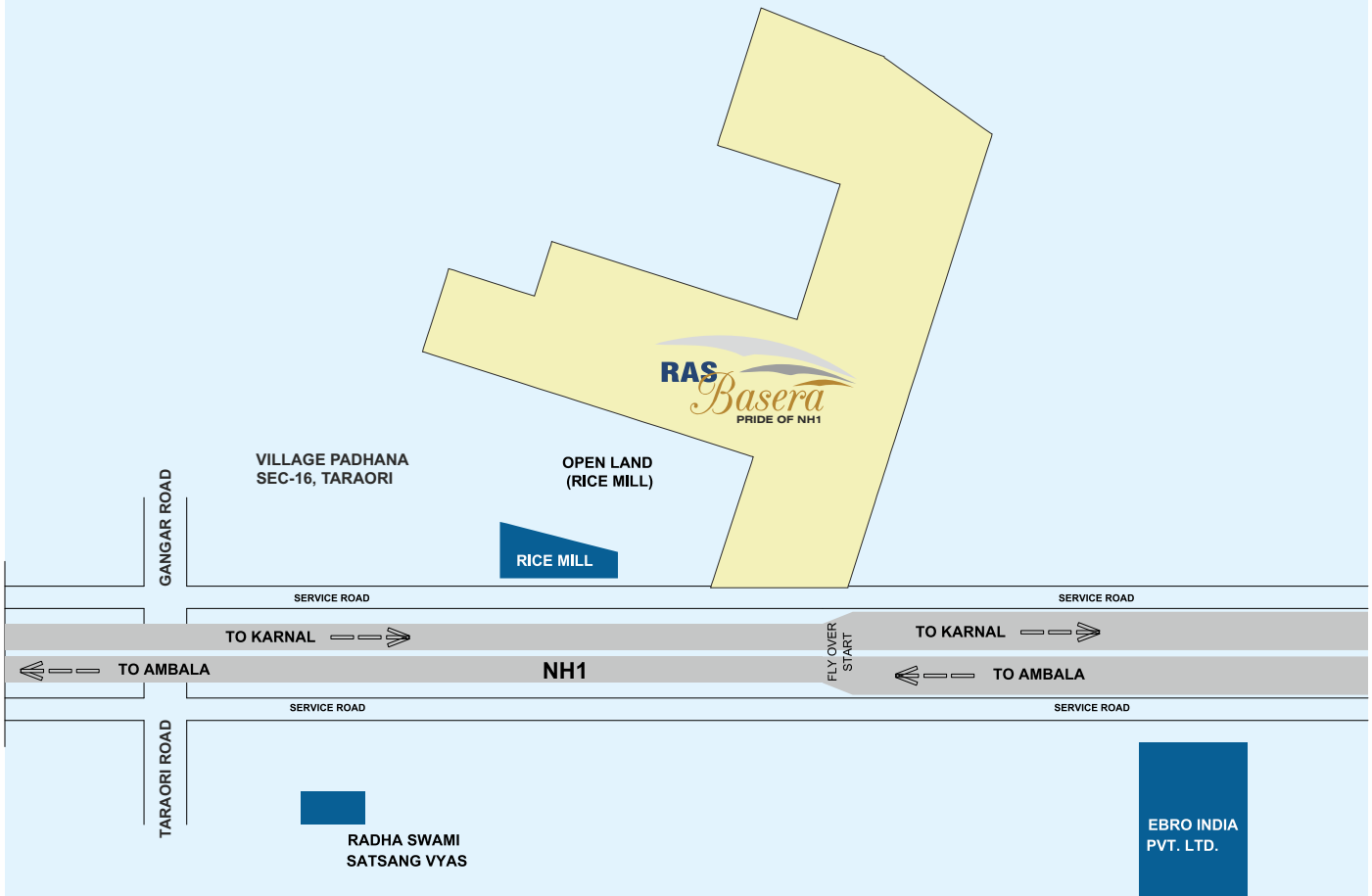


CARPET AREA - 488.88 SQ.FT
 BALCONY AREA - 81.29 SQ.FT

(2 BHK TYPE-II UNIT PLAN)

लोकेशन मैप

Sector-16, Taraori



Location Advantages

- Just 3 minutes drive from karan Lake, Karnal
- Located on G. T. Road (N.H -1, 200ft wide road)
- Situated in middle of Delhi & Chandigarh
- 5 minutes drive from NDRI



UNIT PRICE

1 BHK UNIT (Type 1)		
Carpet Area	310.09 Sqft. @ Rs. 3000/- psft.	Rs. 9,30,270
Balcony Area	81.56 Sqft. @ Rs. 500/- psft.	Rs. 40,780
TOTAL		Rs. 9,71,050
(Rs. Nine Lacs Seventy One Thousand Fifty Only)		
1 BHK UNIT (Type 2)		
Carpet Area	367.899 Sqft. @ Rs. 3000/- psft.	Rs. 11,03,697
Balcony Area	100 Sqft. @ Rs. 500/- psft.	Rs. 50,000
TOTAL		Rs. 11,53,697
(Rs. Eleven Lacs Fifty Three Thousand Six Hundred Ninty Seven Only)		
1 BHK UNIT (Type 3)		
Carpet Area	388.76 Sqft. @ Rs. 3000/- psft.	Rs. 11,66,280
Balcony Area	100.00 Sqft. @ Rs. 500/- psft.	Rs. 50,000
TOTAL		Rs. 12,16,280
(Rs. Twelve Lacs Sixteen Thousand Two Hundred Eight Only)		
2 BHK UNIT (Type 1)		
Carpet Area	479.51 Sqft. @ Rs. 3000/- psft.	Rs. 14,38,530
Balcony Area	100.00 Sqft. @ Rs. 500/- psft.	Rs. 50,000
TOTAL		Rs. 14,88,530
(Rs. Fourteen Lacs Eighty Eight Thousand Five Hundred Thirty Only)		
2 BHK UNIT (Type 2)		
Carpet Area	488.88 Sqft. @ Rs. 3000/- psft.	Rs. 14,66,640
Balcony Area	81.29 Sqft. @ Rs. 500/- psft.	Rs. 40,645
TOTAL		Rs. 15,07,285
(Rs. Fifteen Lacs Seven Thousand Two Hundred Eighty Five Only)		
Applicable Tax(es) as per Govt. rules shall be extra over & above this price.		

PAYMENT PLAN भुगतान नीति

TIME OF PAYMENT / भुगतान का समय	PERCENTAGE OF THE TOTAL PRICE PAYABLE / कुल देय मूल्य का प्रतिशत
At the time of Submission of the Application for allotment / आबंटन हेतु आवेदन जमा करने के समय पर	5% of the Total Price / कुल मूल्य का 5%
At the time of allotment of flat / फ्लैट आबंटन के समय	20% of the Total Price / कुल मूल्य का 20%
Within Six months from the date of issuance of Allotment letter / आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 06 माह के भीतर	12.5% of the Total Price / कुल मूल्य का 12.5%
Within twelve months from the date of issuance of Allotment letter / आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर	12.5% of the Total Price / कुल मूल्य का 12.5%
Within eighteen months from the date of issuance of Allotment letter / आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 18 माह के भीतर	12.5% of the Total Price / कुल मूल्य का 12.5%
Within twenty-four months from the date of issuance of Allotment letter / आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 24 माह के भीतर	12.5% of the Total Price / कुल मूल्य का 12.5%
Within thirty months from the date of issuance of Allotment letter / आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 माह के भीतर	12.5% of the Total Price / कुल मूल्य का 12.5%
Within thirty-six months from the date of issuance of Allotment letter / आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 36 माह के भीतर	12.5% of the Total Price / कुल मूल्य का 12.5%

Sector-16, Taraori



LAYOUT PLAN

Annexure-I / अनुलग्नक-I

Broad specifications for the flats

फ्लैटों का विस्तृत विवरण

BEDROOM/LIVING/DINING: Wall Plaster with Oil Bound Distemper, IPS floor with glass strip **TOILET:** Wall tiles up to 4' Height and Oil Bound Distemper in other areas, Flooring with Anti-skid Tiles **KITCHEN:** IPS floor with glass strip, Slab Platform: Green Baroda Marble or Equivalent Stone Counter, Single Bowl SS Sink without drain board, Wall Tiles up to 2' Height above counter & Oil bound Distemper in other areas **CEILING:** Plaster with White Wash **DOORS:** M S Frame with painted Flush Door **WINDOWS:** MS Z-Sections frame with glazing **BALCONY:** Flooring with Anti-skid Tiles; Mild Steel Railing with Enamel paint **ELECTRICAL:** Copper wiring in concealed conduits and electrical switches/sockets **CHINAWARE:** Standard Chinaware & CP Fittings.

.....

बेड रूम / लिविंग रूम / डाइनिंग: ऑयल बाउन्ड डिस्टेम्पर सहित वाल प्लास्टर, ग्लास स्ट्रिप सहित आइपीएस फ्लोर **टॉयलेट:** 4 फीट ऊंची वाल टाइल्स व अन्य भाग में ऑयल बाउन्ड डिस्टेम्पर, फिसलन रोधी टाइल्स फ्लोरिंग **किचन:** ग्लास स्ट्रिप सहित आइपीएस फ्लोर, स्लैब प्लैटफार्म: ग्रीन बसेडा मार्बल या समकक्ष स्टोन काउन्टर, सिंगल बाउल ड्रेन बोर्ड रहित एसएस सिंक, काउन्टर से 2 फीट तक ऊंची वाल टाइल्स व अन्य भाग में ऑयल बाउन्ड डिस्टेम्पर **सिलिंग:** सफेदी के साथ प्लास्टर **दरवाजे:** एमएस फ्रेम के साथ फ्लश दरवाजे **खिड़कियाँ:** ग्लेजिंग सहित MS Z-सेक्शन फ्रेम **बाल्कनी:** फिसलन रोधी टाइल्स फ्लोरिंग, माइल्ड स्टील रेलिंग एनामेल पेंट सहित **इलेक्ट्रिकल:** आंतरिक कॉपर वायरिंग व इलेक्ट्रिकल स्विचेज/सॉकेट **चाइनावेयर:** मानक चाइनावेयर व सीपी फिटिंग्स

Annexure-II / अनुलग्नक-II

Availability of Application Form

आवेदन पत्र की उपलब्धता

- Karnal - RAS Residency, Near Palm Residency, Sector-35, Karnal.
- Taraori - RAS Basera, Sector-16, G. T. Road, Taraori,
Distt. Karnal (Haryana)
- Delhi - RAS Developments Pvt. Ltd., 812-812 A, Chiranjiv Tower, 43,
Nehru Place, New Delhi-110019

From designated branches of Oriental Bank of Commerce, please visit our website: www.rasbasera.com



- करनाल - रास रेसिडेंसी, पाम रेसिडेंसी के पास, सेक्टर-35, करनाल (हरियाणा)
- तरावड़ी - रास बसेरा, सेक्टर-16, जी. टी. रोड, तरावड़ी, जिला करनाल (हरियाणा)
- दिल्ली - रास डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 812-812 ए, चिरंजीव टावर, 43 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

आवेदन के लिए औरियंटल बैंक ऑफ कामर्स की प्राधिकृत शाखाओं के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर देखें www.rasbasera.com



Disclaimer: Bank's responsibility is limited to distribution & collection of Application Forms (Duly Filled) only.

INSTRUCTIONS TO FILL APPLICATION FORM

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश

GENERAL INSTRUCTIONS:

- Only capital letters should be used.
- Application should be filled by black or blue ball pen only.
- Write your name, application number and telephone number at the back of your demand draft/banker's cheque/crossed cheque.
- Paste self attested latest photograph on the application form & sign at the bottom of the application form.
- In case of joint application, both the applicant should paste the self attested latest photographs on the application form & sign at the bottom of the application form.
- In case of joint application, both the applicant should paste the self attested latest photographs on the application form & sign at the bottom of the application form.
- Application to be submitted with booking amount through Demand Draft/cheque at our offices or Oriental Bank of Commerce branches as referred in Annexure-II.
- The booking amount shall be deposited vide a single crossed cheque/banker's cheque
- The booking amount shall be deposited vide a single crossed cheque/banker's cheque/demand draft of any bank drawn in favour of "RAS Developments Pvt. Ltd. " payable at New Delhi/Karnal.
- Duly completed application in all respects alongwith the requisite payment should be submitted at our offices or the designated branches of Oriental Bank of Commerce before closing of working hours and the last date for submission of applications. Company shall not be reason whatsoever beyond the closure time. The payment will be accepted through cheque or demand draft only.
- The application form should be signed only by the Applicant(s) himself, who wants to get flat/unit under this scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application form. In case the Applicant(s) desires to make change, it is advised to obtain and fill up a fresh application form.
- The Applicant(s) will be required to intimate the source of payment. For this purpose, he may have to submit a copy of bank pass book, loan documents if raised, duly attested by the Bank Manager.

Note:

- Only Crossed cheque/Banker's cheque/demand draft will be accepted. No cash payment to be made. Company shall not be responsible for any cash payment made by applicant to any person in any circumstances.
- In case of any confusion or Interpretation, English version will be considered for clarification, legal recordings and communications, if any.

सामान्य निर्देश

- केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करें।
- आवेदन प्रपत्र केवल काले या नीले पेन से भरें।
- डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / क्रॉस चेक के पीछे अपना नाम, आवेदन संख्या तथा टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।
- आवेदन प्रपत्र पर अपना स्वयं सत्यापित नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं और आवेदन प्रपत्र के सबसे नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- संयुक्त रूप से आवेदन करने की स्थिति में, स्वयं व संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले आवेदक का नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं और आवेदन प्रपत्र के सबसे नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- आवेदन बुकिंग राशि के डिमांड ड्राफ्ट / चेक सहित हमारे कार्यालयों या अनुलग्नक-II में दिए गए औरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखाओं में जमा किया गया।
- “रास डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड” नई दिल्ली / करनाल के पक्ष में देय सिंगल क्रॉसड / बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट, जो कि किसी भी बैंक द्वारा जारी किया गया हो, के रूप में, बुकिंग राशि जमा करानी होगी।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, अपेक्षित भुगतान राशि सहित आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक हमारे कार्यालयों अथवा हमारे द्वारा प्राधिकृत औरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखाओं में कारोबार समय के समाप्त होने से पूर्व जमा कराना आवश्यक है। कंपनी आवेदन प्राप्ति की निर्धारित समयावधि क बाद, किसी भी कारणवश प्राप्ति में हुई देरी के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। भुगतान सिर्फ चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे।
- आवेदन प्रपत्र केवल आवेदक (कों) जो, इस योजना के अंतर्गत फ्लैट / यूनिट प्राप्त करना चाहते हैं, द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की काटा-पीटी, मिटाना या उपरी लिखाई नहीं होनी चाहिए। आवेदक को यह परामर्श दिया जाता है कि यदि यह कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह नया आवेदन प्रपत्र भरे।
- आवेदक (कों) द्वारा भुगतान से स्रोत की जानकारी देना जरूरी है। जिसके लिए उसे बैंक पास बुक, ऋण दस्तावेज, यदि लिया गया है तो, उसकी एक प्रतिलिपि जोकि बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत् सत्यापित हो, जमा करानी होगी।

टिप्पणी:

- केवल क्रॉसड बैंक / बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकृत है। किसी भी प्रकार का नगद भुगतान ना किया जाए। आवेदक द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को रूप से किए गए भुगतान हेतु कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
- किसी प्रकार की भ्रांति या व्याख्या के मामले में, यदि कोई हो तो, स्पष्टीकरण, कानूनी अभिलेख और पत्र-व्यवहार के लिए अंग्रेजी प्रारूप से संदर्भित किया जाएगा।

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF A RESIDENTIAL FLAT / UNIT IN RAS Basera AFFORDABLE GROUP HOUSING PROJECT SITUATED IN SECTOR-16, G. T. Road, Taraori Distt. KARNAL, HARYANA UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY, 2013 ISSUED BY HARYANA GOVT., TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT AND NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. PF27/48921 DATED 19.08.2013

शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किफायती आवासीय योजना, 2013 के अंतर्गत, सैक्टर-16, तरावड़ी, हरियाणा में स्थित किफायती समूह आवासीय परियोजना देखें, अधिसूचना सं. पीएफ 27/48921 दिनांकित 19.08.2013 द्वारा सूचित, किफायती समूह आवासीय परियोजना 2013 के तहत रास बसेरा 2015 में आवासीय फ्लैट/यूनिट के आबंटन हेतु आवेदन-पत्र।

To / सेवा में,

M/s RAS Developments Pvt. Ltd. / मैसर्स रास डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
New-Delhi-110019 / नई दिल्ली-110019

First Applicant's
Recent Photograph
प्रथम आवेदक का
नवीनतम फोटोग्राफ

Joint Applicant's
Recent Photograph
सह-आवेदक का
नवीनतम फोटोग्राफ

Dear Sir/s / महोदय,

I/We hereby apply for provisionals allotment of One (1) number unit/flat in Affordable Group Housing Project known as "RAS Basera" situated in Sector-16, G. T. Road, Taraori, Karnal, Haryana (hereinafter called the "Project")

मैंने / हमने इसके द्वारा सैक्टर-16, तरावड़ी, हरियाणा (इसके आगे की कथित परियोजना) में स्थित, "रास बसेरा की किफायती समूह आवासीय परियोजना में एक (1) यूनिट/फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन किया है।

I/We remit herewith a sum of Rs. (Rupees) by Bank Draft/Cheque No. Dated Drawn On Bank in favour of the Company, being 5% total cost of flat/unit (booking amount).

मैं / हम इसके द्वारा कुल (रुपये) बैंक ड्राफ्ट/चेक सं. दिनांकित को बैंक द्वारा जारी, कंपनी के पक्ष में फ्लैट/यूनिट की कुल लागत का 5% (बुकिंग राशि) प्रेषित करता/करते हूँ/हैं।

The aforesaid project is being developed by M/s. RAS Developments Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") Under Affordable Housing Policy, 2013, issued by Haryana Govt., Town and country Planning Department notified vide notification No. PF27/48921 dated 19.08.2013, hereinafter to as the "said policy".

I/We have read and clearly understood the terms and conditions of the said policy.

उपर्युक्त परियोजना, शहर एवं ग्राम विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किफायती आवासीय योजना 2013 के अंतर्गत अधिसूचित सूचना सं. पीएफ 27/48921 दिनांकित 19.08.2013 जैसा कि उक्त योजना में आगे उल्लिखित है, रास डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (जैसा कि बाद में कंपनी से संबंधित बताया गया) द्वारा विकसित की जा रही है। मैंने/हमने उक्त योजना से संबंधित नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ी व समझी है।

I/We have clearly understood and agreed that this Application Form will be processed only after encashment of the cheque submitted by me/us together with the Application Form complete in all respect otherwise the application shall be liable for rejection. The company will be corresponding with me only on the address/e-mail Id furnished by me.

मैं/हम इस तथ्य से परिचित हैं व सहमत हैं कि ये आवेदन प्रपत्र, मेरे/हमारे द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए चेक को भुनाने के बाद ही प्रक्रिया में लाया जाएगा अन्यथा (चेक न भुनाने की स्थिति में) आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कंपनी केवल मेरे द्वारा दिए गए पते/ई-मेल आईडी पर संपर्क करेगी।

My/Our particulars are as mentioned below and may be recorded for reference and communication:

मेरे/हमारे विवरण निम्नानुसार है तथा किसी भी संदर्भ व संपर्क के लिए इसे रिकॉर्ड में रखा जा सकता है:

[illegible][illegible][illegible]

	PIN Code / पिनकोड
--	-------------------

Telephone No. / टेलीफोन: Mobile Nos. / मोबाइल (i)											(ii)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Landline No. / लैंडलाइन नं. _____ Email ID / ई-मेल आईडी _____

Nationality / राष्ट्रियता _____ PAN / पैन _____

Ward/Circle/Place of Assessment / वार्ड/दायरा (क्षेत्र)/मूल्यांकन का स्थान _____

Bank Account Details / बँक खाता विवरण

[illegible][illegible]

	PIN Code / पिनकोड
--	-------------------

Telephone No. / टेलीफोन: Mobile Nos. / मोबाइल	(i)										(ii)									
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Landline No. / लैंडलाइन नं. _____ Email ID / ई-मेल आईडी _____

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	PIN Code / पिनकोड
--	-------------------

[illegible]

Landline No. / लैंडलाइन नं. _____ Email ID / ई-मेल आईडी _____

Nationality / राष्ट्रियता PAN / पैन

Ward/Circle/Place of Assessment / वार्ड/दायरा (क्षेत्र)/मूल्यांकन का स्थान _____

Bank Account Details / बैंक खाता विवरण

I/We understand and agree that, in case of joint applicants (spouse/dependent child/(ren)), for all the purposes relating to this Application or otherwise in relation to the Project, the company shall treat the address for correspondence, as provided by the first applicant above, as also being the address for the correspondence of the co-applicant and that any correspondence sent to the said address shall be deemed to have been sent to each of the applicants individually and shall be binding on each of them.

मैं/ हम यह समझते व इससे सहतम भी हैं कि इस आवेदन अथवा अन्य किसी प्रकार से इस परियोजना से संबंधित सभी उद्देश्यों हेतु संयुक्त

आवेदक (पत्नी / आश्रित / बच्चा (चे)) होने की स्थिति में कंपनी, प्रथम आवेदक को उसके द्वारा दिए गए पते जो कि सह आवेदक के पत्रव्यवहार का पता भी वही होने के नाते उपर्युक्त पते पर ही उनसे पत्रव्यवहार करेगी और यदि उक्त पते पर कोई पत्रव्यवहार किया जाता है तो प्रत्येक आवेदक यह समझे कि यह पत्रव्यवहार प्रत्येक आवेदक से किया गया है किसी एक से नहीं तथा यह सब पर अनिवार्य होगा।

The Total Price, as on date hereof and subject to any other applicable term of this application and Flat Buyers Agreement, payable by the Applicant(s) to the Company, as the total price towards the allotment and sale of said flat/unit, shall be as follows:

इस आवेदन की निर्धारित तिथि तथा लागू किसी अन्य शर्त एवं फ्लैट बिक्री करार से संबंधित कुल मूल्य का भुगतान उक्त फ्लैट / यूनिट की बिक्री व आबंटन के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नानुसार कंपनी को किया जाएगा:

A.	Approx Carpet Area of the Flat / Unit फ्लैट/यूनिट का कारपेट एरिया लगभग Sq. Ft. / वर्ग फीट	Rs. 3000/- per Sq. ft/ रुपये 3000 प्रति वर्ग फीट	Corresponding Amount Sq. तदनुसार राशि Rs. / रुपये
B.	Approx area of balcony बालकॉनी का एरिया लगभग Sq. Ft. / वर्ग फीट	Rs. 500/- per Sq. ft/ रुपये 500 प्रति वर्ग फीट	Corresponding Amount तदनुसार राशि Rs. / रुपये
TOTAL PRICE / कुल मूल्य (A+B) (क+ख) Rs./ रुपये/- (Rupees/ रुपये)			

Signature / हस्ताक्षर

First/Sole Applicant / प्रथम / एकमात्र आवेदक

Signature / हस्ताक्षर

Co-Applcant, if any / सह आवेदक, यदि कोई है

DECLARATION / घोषणा

I/We the undersigned do hereby declare that / मैं/हम अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा यह घोषित करता / करते हूँ / हैं कि:

i) The above mentioned particulars/information given by me/us are true and correct to the best of my/our knowledge and nothing material has been concealed therefrom;

मेरे/हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त विवरण / तथ्य मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार सत्य तथा सही हैं तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

ii) I/We am/are completely aware of and in agreement with the provisions of Affordable Housing policy 2013, issued by the Government of Haryana, vide Town and Country Planning Department's Notification dated 19th August 2013 ('the Affordable Housing Policy') and undertake to abide by the applicable provisions of the said policy and any applicable laws, rules, regulations, bye-laws or order made pursuant thereto or otherwise applicable.

मैं/हम हरियाणा सरकार द्वारा जारी किफायती आवासीय योजना 2013, देखें शहर एवं ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना, दिनांकित 19 अगस्त, 2013 (किफायती आवासीय योजना) के प्रावधानों के साथ हुए समझौते के विषय में पूर्ण जानकारी है तथा उक्त योजना के लागू प्रावधानों एवं कानून, नियमों, विनियमों, उपनियमों या उसके संदर्भ में बनाए गए अथवा अन्य प्रकार से लागू आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ/हैं।

iii) I or my spouse or my/our dependent child/(ren) do (.....)* /do not(.....)* own a flat or a plot of land in any colony or sector developed by Haryana Urban development Authority (HUDA) or in the license colony in any of the Urban Areas in Haryana or in any Union Territory of Chandigarh or in the National Capital Territory of Delhi.

मैं अथवा मेरी धर्मपत्नी या मुझ/हम पर आश्रित बच्चा (चें) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) द्वारा विकसित किसी कॉलोनी या सैक्टर में अथवा हरियाणा के किसी शहरी क्षेत्र की अनुज्ञप्त (लाइसेंस प्राप्त) कॉलोनी में या केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपनी किसी निजी फ्लैट या किसी भूखंड के मालिक हूँ () * /नहीं हूँ () *

iv) I or my spouse or my/our dependent child/(ren) have (.....)* /have not(.....)* made an application for allotment of apartment in another affordable group housing project in Haryana.

मैंने या मेरी धर्मपत्नी अथवा मेरे/हमारे बच्चा (चों) ने हरियाणा में किसी अन्य किफायती समूह आवासीय परियोजना के अंतर्गत अपार्टमेंट के आबंटन हेतु आवेदन किया है (.....)* नहीं किया है (.....)* ।

v) I/We have attained the age of majority i.e. 18 years on the date of submitting this application.
मैं/हम आवेदन जमा करने की तिथि तक व्यस्क आयु अर्थात् 18 वर्ष के हो चुके हैं।

vi) I/We am/are not debarred from entering into legally binding contract under any prevailing law.
मुझे/हमें किसी भी नियम कानून के अंतर्गत कानूनन बाध्यकारी अनुबंध में भाग लेने से निषेध नहीं किया गया है।

*Please put tick mark in the applicable box and place your signature next to it on the margins of the page. लागू बॉक्स में सही का निशान लगाएं और पृष्ठ के पार्श्व में दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें।

In the event of such other application has been made, please provide the following details in relation to each of the other applications / इस स्थिति में किए गए अन्य आवेदनों के संदर्भ में कृपया प्रत्येक आवेदन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी अवश्य प्रदान करें:

1.	Person in whose name application has been made/ व्यक्ति, जिनके नाम से आवेदन किया गया है:	
2.	Name of the affordable group housing project/ किफायती समूह आवासीय परियोजना का नाम:	
3.	Location of the said project/ उक्त परियोजना की अवस्थिति:	
4.	Name of the developer of the said project and its office address/ उक्त परियोजना के निर्माता (डेवलपर) का नाम व पता:	

Signature / हस्ताक्षर

First/Sole Applicant / प्रथम / एकमात्र आवेदक

Signature / हस्ताक्षर

Co-Applcant, if any / सह आवेदक, यदि कोई है

Enclosures / संलग्नक:

1. Self attested copy of PAN Card / पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
2. Proof of residence e.g. self attested copy of passport, government identity card, election card, ration card, driving license, telephone bill, electricity bill, water bill, house tax receipt, bank pass book (page carrying name and address), CGHS card or Aadhar Card / आवासीय प्रमाण अर्थात् पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पृष्ठ पर नाम व पता लिखा हो), सीजीएसएस कार्ड या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।
3. Self attested Photographs (.....) / स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ (.....)
4. Affidavit(s) / हलफनामा (में)

Date / दिनांक:

Place / स्थान:

INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF A RESIDENTIAL FLAT/UNIT IN AFFORDABLE GROUP HOUSING PROJECT IN "RAS BASERA" SITUATED IN SECTOR-16, G. T. ROAD, TARAORI, DISTT. KARNAL, HARYANA.

- The Applicant(s) has applied for allotment of a flat/unit in Affordable Group Housing Project in "RAS Basera" situated in Sector-16, G. T. Road, Taraori, Dist. Karnal, Haryana on the land measuring 7.006 acres. The aforesaid project consisting of approx. 1091 flats/units is being developed by the Company under Affordable Housing Policy, 2013 issued by Haryana Govt. Town and Country Planning department and notified vide Notification dated 19th August 2013. The License for this affordable group-housing project has already been issued to the Company vide License No. 07 of 2015.
- The Applicant(s) is aware of the fact that this application is a mere request by the Applicant(s) for the allotment of a flat/unit in the project and the same may be allotted strictly as per the said policy. Only those applications shall be considered for draw of lots which are complete in all respects and fulfil the criteria mentioned in this application or otherwise provided under the Affordable Housing Policy. All ineligible applications shall be returned within one month of completion of scrutiny alongwith the 5% booking amount received alongwith such applications. No interest in such cases shall be paid by the Company. The application of the applicant shall be scrutinized by the Company as per parameters prescribed in the said policy under the overall monitoring of concerned District Town Planner (DTP). It is not possible to check the eligibility of applicants(s) at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their names at their own risk and would not be entitled for allotment of flats, if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.
- The Applicant(s) understands that booking amount is to be paid alongwith this application form and the same will not be accepted after the date of closure. In case it is found at any stage that the issue date of payment instrument is after the closure of the schemes, such applications would be summarily rejected and the Applicant(s) would be responsible for it. Company would not entertain any such application in draw of lots.
- That upto 5% of the total number of flats as approved in the building plans may be allotted by the company to its employees/associated/friends/relatives etc. subject to the disclosure of their name/address and other identification details to the allotment committee and the allotment procedure for such flats shall also be completed alongwith the draw of flats for general category flats. The rates and eligibility criteria prescribed under this policy shall continue to be applicable on such preferential allotments also and the allotment procedure shall be completed alongwith general category flats. In case less allotments are made for such preferential category flats, the extra availability shall be merged with general category allotments.
- The Applicant(s) acknowledges that if the present application is accepted then the allotment of flats shall be done through draw of lots in the presence of a committee consisting of Deputy Commissioner or his representative (at-least of the cadre of Haryana Civil Services), Senior Town Planner (Circle Office), DTP of the concerned district and the representative of Company or as may be determined by DTCP under policy.
- The list of successful allottees shall be published in the newspaper and also on the website of DTCP. In case there are any shortcomings in the application of any such successful allottee, he may be granted an opportunity of removing such shortcomings in his application in all respects within a period of 15 days falling which his claim shall stand forfeited. The said 15 days period shall start from the date of publication of the list of successful allottees in the newspaper marking those successful applications with minor deficiencies for information and notice of such applicants/allottees for removing such deficiencies and submit the same to the concerned DTP.
- The date for draw of lot will be fixed after receipt of Environment Clearance and will be announced through advertisement. It shall be issued by the Developer informing the applicants about the details regarding date/time and venue of the draw of lots in the same newspapers in which the original advertisement was issued. All non-successful applicants shall be refunded back the booking amount within 15 days of holding the draw of lots. If the Company is not in a position to refund the booking amount within the aforesaid period, the Company shall refund the said amount with simple interest at the rate of 10% per annum calculated for the period beyond 90 days from closure of booking (i.e. 90 days from last date of application of booking) in complete discharge of its obligation. In case of surrender of flat by any successful applicant, an amount of Rs. 25,000/- will be deducted by the Company. Such a flat may be considered by the committee for offer to those applicants falling in the waiting list. The waiting list, for a maximum of 25% of the total number of flats available for allotment, shall be maintained for a period of 2 years after which the booking amount shall be refunded back to the waitlisted applicants, without any interest. If any waitlisted candidate does not want to continue in the waiting list, he may seek withdrawal and the Company shall refund the booking amount within 30 days without imposing any penalty.
- The Applicants(s) understands that for getting refund the Applicants(s) has/have to clearly mention his bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made by the Developer in the name of the first applicant only and therefore, only his bank account number should be given. This account number and bank particular will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the application form. In case the booking amount has been paid from the account of the firm/company etc. of the Applicant(s) still for the purpose of refund, the Applicant's bank details have to be provided as the same would be printed on refund cheque and in case of mismatch of account number and payee's name, the bank would not clear the instrument. The Applicant(s) is to re-check this before submitting the application form.
- Applicant(s) understands that following documents are to be submitted for refund in case of surrender/cancellation:
 - Original allotment-cum-demand letter issued by the Company in respect of allotted flat/unit.
 - Proof of residence in case there is change of address as given in the application form.
 - Photocopy of passbook or bank Manger's/In charge's certificate in case there is change in bank particulars from that given in the application form.
- The applicant(s) agrees and understand that if he either himself or his spouse or any dependent children does not own any flat/plot in any HUDA developed colony/sector or any licensed colony in any of the urban areas in Haryana, UT of Chandigarh and NCT of Delhi, shall be given first preference in the allotment of the flat. Applicant(s) and/or his spouse and/or his dependent children can file only one application in this project. The applicant(s) shall also disclose in writing to the Company whether he or his spouse or any of his dependent children have made any other application for allotment of a flat/unit in any other affordable housing project/colony in Haryana. In case, the applicant is successful in more than one colony, he will have choice of retaining one flat only.

सेक्टर-16, जी. टी. रोड तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित "रास बसेरा" में स्थित किरायायती समूह आवासीय परियोजना के अंतर्गत एक आवासीय फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु निर्देशात्मक नियम व शर्तें

- आवेदक(कों) ने, सेक्टर-16, जी. टी. रोड, तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित "रास बसेरा" में स्थित किरायायती समूह आवासीय परियोजना के अंतर्गत एक आवासीय फ्लैट/यूनिट आवंटन हेतु 7.006 एकड़ माप के भूखंड के लिए आवेदन किया है। उक्त परियोजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किरायायती समूह आवासीय योजना, 2013 दिनांकित 19 अगस्त 2013 की अधिसूचना के माध्यम से जारी सूचना के अंतर्गत कंपनी द्वारा 1091 फ्लैटों/यूनिटों का विकास किया जा रहा है। इस किरायायती समूह आवासीय परियोजना के लिए कंपनी को पहले ही अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) जारी किया जा चुका है। देखें अनुज्ञापत्र सं. 2015 का नं. 7।
- आवेदक इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि परियोजना के अंतर्गत फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु आवेदक(कों) द्वारा किया गया यह आवेदन एक निवेदन मात्र है तथा उक्त योजना के अनुसार इसे अति नियम निष्ठ तरीके से आवंटित भी किया जा सकता है। भूखंडों के ड्रा के लिए केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो सभी प्रकार से पूर्ण हो और इस आवेदन पत्र अथवा किरायायती आवासीय योजना के अंतर्गत दिए गए मानदंडों को पूरा करते हो। सूक्ष्म जाँच के पश्चात् एक माह के भीतर सभी अपात्र आवेदनों को रद्द कर 5% बुकिंग राशि सहित वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों के विषय में कंपनी द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। संबंधित जिला नगर आयोजक (डीटीपी) के संपूर्ण निरीक्षण के अधीन उक्त योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंपनी द्वारा आवेदक के आवेदन की सूक्ष्म जाँच की जाएगी। प्रपत्र की स्वीकृति के समय आवेदक(कों) की पात्रता की जाँच करना संभव नहीं है। इसलिए जो आवेदन के पात्र नहीं है वे अपने स्वयं के जोखिम पर अपना नाम पंजीकृत कराएँ क्योंकि यदि बाद में उन्हें किसी तरह से अयोग्य पाया जाता है तो फ्लैट के आवंटन हेतु उन्हें नामांकित नहीं किया जाएगा।
- आवेदक(कों) को यह पता होना चाहिए के आवेदन प्रपत्र के साथ की बुकिंग राशि का भुगतान किया जाएगा तथा अंतिम तिथि के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदन के किसी भी चरण में यदि यह पता जाता है कि योजना बंद होने के बाद ड्राप्ट/चेक/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान किया गया है तो ऐसे आवेदनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। भूखंड के ड्रा में ऐसे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- भवन योजना में अनुमोदित फ्लैटों की कुल संख्या का 5% कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों / सहभागियों / मित्रों / संबंधियों आदि के लिए आवंटित किया जा सकता है बशर्ते उनके नाम / पते व पहचान संबंधी अन्य जानकारी आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे फ्लैटों की आवंटन प्रक्रिया सामान्य श्रेणी के फ्लैटों के ड्रा के साथ ही पूरी जाएगी। योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें व पात्रता मानदंड ऐसे वरीयता दिए जाने वाले आवंटनों पर भी लागू होंगी तथा आवंटन प्रक्रिया सामान्य श्रेणी के फ्लैटों के साथ ही पूर्ण की जाएगी। ऐसे वरीयता दिए जाने वाले फ्लैटों के लिए आवंटन काम होने की स्थिति में इनकी अतिरिक्त उपलब्धता को देखते हुए सामान्य श्रेणी की फ्लैटों के आवंटनों के साथ ही इन्हें मिला दिया जाएगा।
- आवेदक यदि यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो फ्लैट का आवंटन ड्रा के माध्यम से समिति जिसमें उपयुक्त या उसके प्रतिनिधि (कम से कम हरियाणा लोक सेवा के संगर्ग के), वरिष्ठ नगर आयोजक (मंडल कार्यालय), संबंधित जिले के डीटीपी तथा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे की उपस्थिति में फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा अथवा डीटीसीपी द्वारा निर्धारित नीति द्वारा किया जाएगा।
- सफल आवंटन प्राप्तकर्ता (अलॉट्टिज़) की सूची समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा डीटीसीपी की वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। ऐसे सफल आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे इन त्रुटियों को सभी प्रकार से अपने आवेदन से हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ऐसे ना करने पर वह अपने के दावे के अधिकार से भी वंचित हो जाएगा। उक्त 15 दिनों की समयवाधि की शुरुआत समाचारपत्र में सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं, जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन करते हुए आवेदन प्रपत्रों में जानकारी देने में छोटी-छोटी त्रुटियाँ की हैं, उनकी सूची तथा ऐसे आवेदकों/आवंटन प्राप्तकर्ताओं हेतु त्रुटियाँ उपस्थिति में फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा अथवा डीटीसीपी द्वारा निर्धारित नीति द्वारा किया जाएगा।
- सफल आवंटन प्राप्तकर्ता (अलॉट्टिज़) की सूची समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा डीटीसीपी की वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। ऐसे सफल आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे इन त्रुटियों को सभी प्रकार से अपने आवेदन से हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ऐसा ना करने पर वह अपने के दावे के अधिकार से भी वंचित हो जाएगा। उक्त 15 दिनों की समयवाधि की शुरुआत समाचारपत्र में सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं, जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन करते हुए आवेदन प्रपत्रों में जानकारी देने में छोटी-छोटी त्रुटियाँ की हैं, उनकी सूची तथा ऐसे आवेदकों/आवंटन प्राप्तकर्ताओं हेतु त्रुटियाँ हटाने संबंधी सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से की जाएगी तथा आवेदक को संबंधित डीटीपी (जिला नगर आयोजक) के समक्ष इसे जमा करना होगा।
- ड्रा की तिथि, पर्यावरण अनुमति प्राप्ति के पश्चात्, डेवलपर द्वारा उन सभी अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित की जायेगी, जिनमें मुख्य विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। जिनमें आवेदकों को ड्रा की तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचना दी जायेगी। सभी असफल आवेदकों को भूखंड के लिए ड्रा होने के बाद 15 दिनों के भीतर बुकिंग राशि वापस लौटा दी जाएगी। यदि कंपनी उपर्युक्त समयवाधि के भीतर बुकिंग राशि वापस लौटाने की स्थिति में नहीं है तो वह अपने वास्तविक का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए भूखंड के लिए हुए आवेदन के अंतिम तिथि के 90 दिनों के बाद की अतिरिक्त समयवाधि (अर्थात् आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिन से 90 दिन) के लिए भी 10% प्रति वर्ष की सामान्य ब्याज दर के हिसाब से उपर्युक्त राशि का भुगतान करेगी। यदि कोई सफल आवेदक फ्लैट छोड़ देता है तो कंपनी द्वारा 25,000/- रुपये की राशि की कटौती की जाएगी। ऐसे फ्लैटों को समिति प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को देने के विषय में विचार कर सकती है। आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों की कुल संख्या का अधिकतम 25% के लिए 2 वर्ष की समयवाधि हेतु प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को बिना किसी ब्याज राशि के बुकिंग राशि वापस लौटा दी जाएगी। यदि कोई प्रतीक्षा उत्पीड़ित प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं रहना चाहता तो वह अपना नाम वापस ले सकता है और कंपनी बिना कोई जुर्माना लगाए 30 दिनों के भीतर बुकिंग राशि वापस लौटा देगी।
- आवेदक(कों) को यह पता होना चाहिए कि वापस होने वाली राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक(कों) अपना बैंक खात संख्या स्पष्ट रूप से लिखना होगा। संयुक्त आवेदन होने की स्थिति में डेवलपर द्वारा केवल प्रथम आवेदक के नाम से रिफंड किया जाएगा इसीलिए प्रथम आवेदक का बैंक खात संख्या दिया जाना अनिवार्य है। यह खात संख्या तथा बैंक विवरण चैक पर मुद्रित होंगे, अतः आवेदक आवेदन प्रपत्र में इन विवरणों को ध्यानपूर्वक भरें। बुकिंग राशि का भुगतान आवेदक की फर्म/कंपनी आदि द्वारा किए जाने की स्थिति में, तथा रिफंड के लिए भी आवेदक के बैंक संबंधी विवरण वही होने चाहिए जो रिफंड चैक पर मुद्रित है और यदि खाता संख्या तथा प्राप्तकर्ता के नाम में कोई असंगति पाई जाती है तो बैंक दस्तावेजों को पास नहीं करेगा। आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र जमा करने से पूर्व इसकी पुनः जाँच की जानी चाहिए।
- आवेदक को यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि छोड़े जाने/रद्द होने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
 - क) आवंटित फ्लैट/यूनिट के संदर्भ में कंपनी द्वारा जारी किया गया वास्तविक आवंटन सह मांगपत्र।
 - ख) आवेदन प्रपत्र में दिए अनुसार, पते में परिवर्तन होने की स्थिति में आवास का प्रमाण।
 - ग) आवेदन प्रपत्र में दिए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की स्थिति में पासबुक या बैंक प्रबंधक/ प्रभारी के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
- आवेदक(कों) यह समझता तथा स्वीकार करता है कि यदि उसका या उसकी धर्मपत्नी अथवा आश्रित किसी बच्चे का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) द्वारा विकसित किसी शहरी क्षेत्र की अनुज्ञापत्र (लाइसेंस प्राप्त) द्वारा विकसित किसी शहरी क्षेत्र में अनुज्ञापत्र (लाइसेंस प्राप्त) कॉलोनी में या केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपना कोई निजी फ्लैट/प्लॉट नहीं है, तो फ्लैट के आवंटन में उसे वरीयता दी जाएगी। आवेदक(कों) को और/या उसकी धर्मपत्नी और/या उसके आश्रित बच्चे इस परियोजना में केवल एक

- The Applicant confirms that the information supplied/furnished by him in or pursuant to this Application is correct and all documents supplied for obtaining allotment are authentic and genuine. In case any information given or Affidavit/documents supplied or representation made by the Applicant(s) for obtaining allotment is found to be false including quoting wrong PAN number or suppressing any material fact at any time whatsoever, the Company shall be entitled to reject/cancel the allotment if made in favour of the Applicant(s) and forfeit the booking amount. In such an event, the applicant(s) shall not be left with any right, title or interest of any nature in the said Flat and/or the Project and /or against the Company or any of its directors and the Company shall be competent to use, utilize, deal with the aforesaid flat/unit as per the said policy without any hindrance or obstruction from the Applicant(s). In case multiple applications are received from any individual and if by any chance multiple allotments are made in the draw to a particular applicant who has submitted multiple applications, in such cases all the allotments to the particular individual would be cancelled and booking amounts shall be forfeited. This will be without prejudice to Company's right to take such other action as may be permissible in law.
- The Applicant(s) has satisfied himself about the unencumbered right, title and interest of the Company in the land on which the said project is being developed.
- That the Applicant(s) has made this application with full knowledge of the fact that the applications as well as the allotment and purchase of the flat/unit is subject to various eligibility criteria and restrictive covenants prescribed by the competent authority under the said policy. The Applicant(s) represent(s) and warrants that he fully meets all the eligibility criteria and undertakes to abide by all the terms and conditions applicable to the allotment and purchase of the said flat/unit under the said scheme/policy.
- That the applicant(s) is aware of the fact that the Company is in the process of developing the affordable group housing colony on the said land as detailed on its website in terms of the said policy. The carpet area of the flat shall be as mentioned in this application form. The term carpet area shall mean the net usable covered floor area bound within the walls of the flat but excluding the area covered by the walls and any balcony which is approved free-of-FAR, but including the area forming part of kitchen, toilet, bathroom, store and built in cupboard/almirah/shelf which being usable covered area shall form part of the carpet area. The actual carpet area shall be charged as per final built up area as shown in the declaration deed filed after occupancy certificate. The Applicant(s) also aware that 4% of Net Planned Area at 175 FAR is the area for the commercial use by the company as per the said policy. The said commercial area/shopping area is to the exclusive ownership and use of the company and applicant/association has no right whatsoever on the same.
- That, the Applicant(s) hereby undertakes that he shall abide by all laws, regulations, notifications, terms and conditions of Central Government, Haryana Government, Haryana Urban Development Authority, Registrar of Societies, Local Bodies, Taxation, Environment, Fire, Explosive, Ground Water, Excise, The Haryana Apartment Ownership Act, 1983 etc. and any alteration(s)/amendment(s)/modification(s) thereto, and shall be liable for defaults and / or breaches of any of the conditions, rules or regulations as may be applicable to the said project.
- The Applicant(s) acknowledges that only one two wheeler parking site shall be earmarked for an applicant which shall be allotted to him. No car parking shall be allotted to any applicant in the said project. The parking space shall be the integral part of the flat/unit and shall not be used, transferred or dealt with independently of the flat/unit. The balance available parking space, if any, beyond the allocated two wheeler parking sites, can be earmarked by the Company as free-visitor-car-parking space. The Applicant(s) agrees not to park their vehicle(s) on the pathway or open spaces of the Building/Complex or at any other place except the space exclusively allotted, for their purpose.
- In case present application of the applicant is successful in the said draw of lots, he shall be required to deposit additional 20% amount of the total cost of the flat to the Company at the time of the allotment of the flat. The balance 75% shall be payable by the Applicant(s) in six equated monthly instalments spread three year period with no interest falling due before the due date for payment. Any default in payment by the applicant shall invite interest @15% p.a. If the applicant fails to deposit the instalments within the time period as prescribed in the allotment letter issued by the Company, a reminder may be issued to him for depositing the due instalment within a period of 15 days from the date issue of such notice. If the applicant/allottee still defaults in making the payment, the name of such defaulter may be published in one regional Hindi newspaper for payment of due amount within 15 days from the date of publication of such notice failing which his allotment will be cancelled by the Company. In such cases an amount of Rs. 25,000/- shall also be deducted by the Company and the balance amount shall be refunded to the applicant. Such flat(s) may be considered by the committee for offer to those applicants failing in the waiting list.
- The complete set of specifications to be adopted by the Company for finishing/fittings to be provided in the said flat, viz., flooring (rooms, kitchen, toilet & bathroom, balcony, common areas, staircase etc.); door & window frame and panel; kitchen worktop & wall finishing, toilet & bathroom fittings and wall finishing, internal electrical wiring, fittings, electrical points etc., Internal public health services-pipes and fittings, sewage and sanitary fittings, wall finishing, staircase and balcony railings etc., are annexed herewith as "Annexure-1".
- All the payments agreed to be made by the Applicant(s) in accordance with the payment plan shall be made by way of cheque/demand draft in favour of "RAS Developments Pvt. Ltd." payable at Karnal/New Delhi subject to realization of cheque/demand draft. In case the Applicant(s) makes the payment by an outstation cheque, then his payments would be deemed to have been received on the date on which the said cheque will get credited in the bank account after deduction of the outstation clearing charges.
- The Applicant(s) shall before taking possession of the said Flat in any manner must clear all the dues towards the allotted Flat and have the Conveyance Deed for the said Flat executed in his favour after paying Registration fee / charges, stamp duty and other charges/expenses. The Applicant(s) shall pay, as and when demanded by Company, the Stamp duty, Registration charges and all other incidental and legal expenses for execution and registration of conveyance deed of the said flat in favour of the Applicant(s) which shall be executed and got registered after receipt of the total cost of the flat and other dues as specified in this form or Apartment Buyers Agreement, as the case may be and the said charges and expenses as may be payable or demanded from the Applicant(s) in respect of the said flat allotted to him/her. In case the Applicant(s) fails to deposit the stamp duty, registration charges and all other incidental and legal expenses etc. so demanded within the period mentioned in the demand letter, the Company shall not be under any obligation to execute the Conveyance Deed. The Applicant(s) undertakes to execute the Conveyance Deed within a period of sixty (60) days from the date of the Company intimating in writing the receipt of the certificate for use and occupation of the said building from the competent authority.
- That the Company shall sincerely endeavour to offer possession of the said Flat to the Applicant(s) within the validity period of 4 years of sanction / clearance of the building plans or receipt of environmental clearance whichever is later subject to the force

आवेदन ही दे सकते हैं। आवेदक(कों) को कंपनी के समक्ष लिखित रूप से यह स्पष्ट करना होगा कि हरियाण में अन्य कफायती आवासीय परियोजना/कॉलोनी में उसने या उसकी धर्मपत्नी अथवा उसके आश्रित किसी बच्चे ने फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन किया है या नहीं। यदि आवेक एकाधिक कॉलोनियों में फ्लैट/यूनिट पाने में सफल होना है तो उसके केवल एक फ्लैट पर ही अधिकार होगा।

- आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस आवेदन के संदर्भ में उसके द्वारा दिए गए/भरी हुई जानकारी सही तथा आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज प्रामाणिक और वास्तविक हैं। आवेदक द्वारा आवंटन फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु दी गई किसी भी जानकारी जैसे गलत पैर नंबर भना या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना अथवा हलफनामा/दस्तावेज या प्रस्तुतिकरण में जो भी हो, में असंगति या असत्य पाया जाने पर कंपनी द्वारा आवेदक के पक्ष में किए गए आवंटन को तुरंत अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा और बुकिंग राशि जब्त की ली जायेगी। ऐसी स्थिति में, आवेदक(कों) उपर्युक्त फ्लैट और/या परियोजना और/या इसके किसी भी निदेशक के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, दावा या हिस्सेदारी का पात्र नहीं होगा और आवेदक को और से बिना किसी अवरोध या प्रतिरोध के, कंपनी उपर्युक्त योजना के अनुसार उक्त फ्लैट/यूनिट का प्रयोग, सौदा कर उससे लाभ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है। यदि किसी आवेदक द्वारा किसी भूखंड विशेष के लिए एकाधिक आवेदन किए जाते हैं और संयोगवश उस आवेदक के लिए ड्रा के माध्यम से एकाधिक आवंटन कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके सभी आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे तथा उसकी बुकिंग राशि भी जब्त कर ली जाएगी। रद्दीकरण को यह प्रक्रिया पूर्णतः पश्चात रहित व सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होगी और कंपनी को ऐसे आवेदक के खिलाफ अन्य कोई कानूनी कार्रवाई करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
- आवेदक(कों) को उस भूखंड विशेष पर, जहां कंपनी द्वारा उपर्युक्त परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, कंपनी के विशेषाधिकारों, दावों तथा हिस्सेदारी को स्वीकार करना होगा।
- आवेदक(कों) को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि उसके द्वारा किया गया यह आवेदन, फ्लैट/यूनिट का आवंटन व खरीद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए विभिन्न पात्रता मानदंड एवं नियामक प्रतिज्ञा पत्र के अधीन विषय है। आवेदक(कों) को यह प्रस्तुत व प्रमाणित करना होगा कि वह सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उपर्युक्त योजना/नॉटि के अंतर्गत उपर्युक्त फ्लैट/यूनिट के आवंटन व खरीद हेतु लागू सभी नियमों व शर्तों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- आवेदक(कों) को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी अपनी वेबसाइट पर दिए विवरणानुसार उपर्युक्त योजना के नियमों व शर्तों व अंतर्गत उक्त भूखंड पर, कफायती सहज आवासीय कॉलोनी के विकास को प्रक्रिया से गुजर रही है। फ्लैट का फर्श क्षेत्र (कारपेट एरिया) आवेदन प्रपत्र में दिए अनुसार ही होगा। फर्श क्षेत्र का अर्थ है - फ्लैट की चारदीवारी से घिरा वह क्षेत्र अनुपात (FAR) से मुक्त प्रमाणित की गई बालकॉनी को भी शामिल नहीं किया जाता लेकिन रसोईघर, शौचालय, स्नानगृह व भंडार कक्ष जितने क्षेत्र पर निर्मित है उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है तथा कपबोर्ड/अलमारी/शेल्फ का प्रयोग किया जाने योग्य क्षेत्र - विस्तार भी फर्श क्षेत्र का ही क्रमबद्ध हिस्सा होता है। आवेदक ने पूरी तरह योजना, ले आउट, स्कीमों विशिष्टताओं की जाँच कर उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा इस तथ्य से अवगत है कि निर्माण के दौरान किसी भी संबद्ध प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है जिसके तहत लोकेशन, फ्लैटों की स्थिति, संख्या, आकार व डिजाइन में परिवर्तन शामिल है। वास्तविक फर्श क्षेत्र (कारपेट एरिया) का मूल्य तैयार हुए बिल्ड अप एरिया के माप के अनुसार लिया जाएगा। आवेदक(कों) को यह भी पता होना चाहिए कि उपर्युक्त योजना के अनुसार कंपनी द्वारा 175 फर्श क्षेत्र/बाजार क्षेत्र कंपनी के विशेषाधिकार और एकमात्र स्वामित्व के अधीन होगा तथा आवेदक/संच को इस क्षेत्र का किसी भी रूप में प्रयोग करने संबंधी कोई अधिकार नहीं है।
- आवेदक इसके द्वारा यह आवश्यक करता है कि वह कंस्ट्रक्टर, हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सोसाइटी, स्थानीय निकायों, कराधान, पंचायत, अग्नि, विस्फोटक, भूमिगत जल, उत्पाद शुल्क के रजिस्ट्रार हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 आदि के सभी नियमों, उपनियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, नियमों व शर्तों एवं इनमें हुए किसी भी परिवर्तन(नों)/संशोधन(नों)/रूपांतरण(णों) का अनुपालन करेगा तथा उपर्युक्त परियोजना में लागू शर्तों, नियमों या विनियमों में किसी भी प्रकार को चूक तथा/या उल्लंघन होने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- आवेदक(कों) को यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल एक दुपहिया वाहन पार्किंग के लिए स्थल अलग से आवंटित किया जाएगा। उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत किसी भी आवेदक को कार पार्किंग के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा। पार्किंग स्थल फ्लैट/यूनिट का ही आंतरिक हिस्सा होगा और फ्लैट/यूनिट के साथ स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग, स्थानांतरण या सौदा नहीं किया जाएगा। आवंटित दुपहिया वाहन पार्किंग स्थल के अलावा शेष उपलब्ध पार्किंग स्थल यदि कोई हुआ तो, कंपनी द्वारा आगंतुकों के लिए इसे निःशुल्क कार पार्किंग स्थल बना दिया जाएगा। आवेदक(कों) को यह स्वीकृत करना होगा कि वह अपने वाहनों को, अलग से आवंटित स्थान रूप से इसका प्रयोग, स्थानांतरण या सौदा नहीं किया जाएगा। आवंटित दुपहिया वाहन पार्किंग स्थल के अलावा बना दिया जाएगा। आवेदक(कों) को यह स्वीकृत करना होगा कि वह अपने वाहनों को, अलग से आवंटित स्थान पर अलावा आने जाने के मार्ग या भवन/परिसर के खुले स्थानों पर अथवा किसी अन्य स्थान पर खड़ा नहीं करेंगे।
- यदि उपर्युक्त आवंटन के ड्रा के आवेदक का मौजूदा आवेदन स्वीकृत किया जा ता है तो उसे फ्लैट के आवंटन के समय कंपनी को फ्लैट के कुल मूल्य का अतिरिक्त 20% भाग जमा कराना होगा। भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व शेष 75% का भुगतान आगामी तीन वर्षों को समयावधि तक छह-छह महीनों की समान किश्तों के साथ बिना किसी देय ब्याज राशि के करना होगा। यदि भुगतान करने में आवेदक से कोई भूल/चूक होती है तो उसे 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज देना होगा। यदि आवेदक कंपनी द्वारा जारी आवंटन पत्र में निर्धारित समय के भीतर किश्त जमा नहीं कर पाता है तो उसे ऐसी सूचना के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष देय राशि के भुगतान हेतु क्षेत्रीय हिंदी समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है और फिर भी भुगतान न करने पर कंपनी द्वारा उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कंपनी द्वारा 25,000 रुपये के कटौती कर शेष राशि आवेदक(कों) को वापस लौटा दी जाएगी। ऐसे फ्लैट(टों) को प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है।
- कंपनी ने अनुलानक - 1 फिनिशिंग/फोर्टिंग से संबंधित दिए गए सभी विशेष विवरणों, अर्थात् फ्लोअरिंग (कमरों, रसोईघर, शौचालय तथा स्नानगृह बालकॉनी, कॉमन एरिया, सीढ़ियों आदि) दरवाजे व खिड़की फ्रेम व पैनल: किचन वर्कटॉप तथा दीवारों की फिनिशिंग, प्लाइवूड आदि आंतरिक जन स्वास्थ्य सेवाएं - पाईप एवं फोर्टिंग, सीवरेज और सैनिट्री फोर्टिंग, इलेक्ट्रिकल प्लाइवूड आदि आंतरिक जन स्वास्थ्य सेवाएं - पाईप एवं फोर्टिंग, सीवरेज और सैनिट्री फोर्टिंग, दीवारों की फीनिशिंग, सीढ़ियों व बालकॉनी में रेलिंग्स आदि का विवरण किया गया है।
- आवेदक(कों) द्वारा उसकी सहमति से सभी भुगतानों को अदायगी में भेंट प्लान (भुगतान ढाँचे) के अनुसार "रास डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में देय, कराना/नहीं दिली को देय चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही करनी होगी। यदि आवेदक किसी बाहरी शाख के चेक के माध्यम से भुगतान करता है तो बाहरी शाखा के क्लियरिंग (समाशोधन) शुल्क काटने के बाद, जिस तिथि को बैंक बैंक खाते में जमा किया गया है उसी दिन आवेदक का भुगतान प्राप्त माना जाएगा।
- आवेदक(कों) को किसी भी रूप में उपर्युक्त फ्लैट की पंजेशन लेने से पूर्व आवंटित फ्लैट से संबंधित सभी देयताओं को तथा पंजीकरण शुल्क/मूल्य, मुद्रांक शुल्क तथा अन्य मूल्यों/व्यव का भुगतान करने के पश्चात् उपर्युक्त फ्लैट के लिए कनवेंयंस डीड भी सुनिश्चित करना होगा। आवेदक(कों) को अपने उपर्युक्त फ्लैट के वाहन विलेख का कार्यान्वयन व पंजीकरण हेतु जैसे भी जहां भी मांग की जाए वही मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य सभी आकस्मिक एवं विधिक व्ययों का भुगतान करना होगा। आवेदक(कों) आवंटित उक्त फ्लैट की कुल लागत तथा अन्य देयताओं, जैसा कि इस अपार्टमेंट खरीदार अनुबंध प्रपत्र या विब्री करार में दिया गया है, तथा उपर्युक्त शुल्कों व व्ययों को आवेदक द्वारा दिया जाने या उससे माँगे जाने पर, जैसा भी मामला हो, को प्राप्ति के बाद ही कार्यान्वित व पंजीकृत किया जाएगा। यदि आवेदक मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य आकस्मिक और विधिक खर्चों आदि का भुगतान माँगपत्र में उल्लिखित समयावधि के भीतर नहीं कर पाता है तो कंपनी वाहन विलेख के कार्यान्वयन हेतु किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त होगी। आवेदक(कों) को सक्षम प्राधिकारी से उक्त

- majeure conditions which inter-alia include strike, lock-out, court injunction, civil commotion or by reason of war, enemy or terrorist action, earth quake, any act of God or delay in grant of completion/occupation certificate by the govt. and/or any other public or competent authority delay in providing basic infrastructure facilities viz. HUDA water & sewer connection or bulk electricity supply or sector roads and subject to the applicant(s) having complied with all the terms of this application form or Apartment Buyers Agreement.
22. The Applicant(s) shall take over the possession of the Flat/Unit within a period of 30 days from the date of the intimation in writing by the company failing which the Applicant(s) shall be deemed to have taken the possession of the Flat/Unit. In such a case the Company shall not be responsible for any loss or damage or trespassing in the said Flat/Unit.
 23. For a period of five years from the date of grant of occupation certificate, the maintenance works and services in relation to the common areas and facilities of the project shall be provided by the Company through itself or its appointed maintenance agency. The Applicant(s) shall pay the water and electricity consumption charges as per actual meter reading and/or pro rata consumption through post paid or prepaid metering system. The internal maintenance of respective apartment shall be sole responsibility of applicant only. The developer shall not be responsible for internal maintenance of the apartment in any circumstance. After the aforesaid period of 5 years the said project shall be transferred to the "association of apartment owners" constituted under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 which shall overtake the providing maintenance services to the project and thereafter the Company shall have no further obligation to provide any maintenance services in the said project.
 24. The Applicant(s) undertakes that he shall become a member of the association of apartment owners that shall be formed under the provisions of Haryana Apartment Ownership Act, 1983 and shall undertake all necessary steps and do all such acts and deeds including executing necessary documents, declarations, undertakings, deeds etc. as and when required by the Company to do so.
 25. The Applicant(s) undertakes to pay cost of Electricity and Water Meter etc. as well as the charges for water and electricity connection/pro rata bulk connection as demanded by Developer at the time of possession of Apartment to applicant.
 26. The Applicant(s) agrees and undertakes to pay on demand all such taxes, cess, levies or assessment including VAT, service tax etc. whether already levied or liveable now or in future in relation to the project.
 27. The Applicant(s) agrees and understands that allotment of flats shall be done through draw of lots in accordance with the provisions of Affordable Housing Policy and that only such applications shall be considered for draw of lots which are complete and which fulfil the criteria laid down in this policy.
 28. The said flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to any other use. The Applicant(s) shall not be entitled to sub-divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations.
 29. The said Flat along with building in which the flat is allotted shall be subject to the provisions of Haryana Apartment Ownership Act, 1983 or any statutory enactment or modifications thereof. The common areas and facilities as specified by the Company in the declaration, which will be filed by the Company in compliance of Haryana Apartment Ownership Act, 1983 shall be conclusive and binding upon the flat owners.
 30. The Applicant(s) may obtain finance from any financial institution/bank or any other source for purchase of the Flat. The Applicant(s) obligation to purchase the Flat pursuant to this application form shall not be contingent on the Applicant(s)'s ability or competency to obtain such financing and the Applicant(s) will remain bound under this application form and/or Apartment Buyers Agreement whether or not the Applicant(s) has been able to obtain financing for the purchase of the said unit/flat. Further, any refusal/delay by any bank/financial institution in granting financial assistance and/or disbursement of loan or any subsequent instalment, on any ground whatsoever, shall not entitle the Applicant(s) to use it as an excuse for delaying or defaulting in making the payment of instalment(s) which have fallen due and any such delay or default in making the payment of the instalment(s), as per the payment plan, shall make the Applicant(s) liable to pay the stipulated interest @ 15% p.a.
 31. Notwithstanding anything contained herein, the Applicant(s) hereby unconditionally authorizes and permits the company to rise finance/loan from any financial institution/bank/lender/financier including by way of equity dilution/assignment, creation of mortgage/charges/claims on or in relation to the said flat and or the project, provided that the said flat shall be free of any encumbrances at the time of execution of conveyance deed for the said flat in favour of the Applicant(s).
 32. The Applicant(s) agrees that the Applicant(s) shall sign all applications, papers, documents and all other relevant papers as required to sign, in pursuance to the transaction and do all the acts, deeds and things as the company may require for safeguarding the interest of the company and/or the Applicant(s) in the project including in particular, the requirement of the Income Tax Act 1961.
 33. Upon the allotment of the apartment to the applicant(s), he shall not be entitled to transfer or sell the flat/unit for a period of one year from the date of taking over the possession of the flat/unit. Breach of the condition shall attract penalty equivalent to 200% of the selling price of the flat/unit. The transfer of the flat/unit through execution of irrevocable general power of attorney (GPA) where the consideration amount has been passed to the executor or anyone on his behalf will be considered as sale of the flat/unit and the same will be counted breach of terms and conditions of the said policy. Penal proceedings as per prescribed provision shall also be initiated against such an applicant(s). Failure to deposit such penalty shall result in resumption of the said flat and it will be re-allotted by the company in consultation by Town and Country Planning Department Government of Haryana.
 34. The Applicant(s) deemed allottee shall plan and distribute his and maintain electrical load in conformity with the electrical systems installed by the company and shall also maintain water and sewage lines passing through his/ her apartment free of seepage/leakage. The non-observance of the provisions of this clause shall entitle the company or the maintenance agency to enter the said unit, if necessary and rectify or remove all non-conforming fitting and fixtures at the cost and expense of the Applicant(s). The Applicant(s) shall be liable for any loss or damages arising out of breach of any of the aforesaid conditions.
 35. It is specifically understood and accepted by the Applicant(s) that any electrical point/gas point/fire pipes/water pipes/any other related services or any part and structure of walls shall not be tampered with or altered without prior written approval of the company and the same shall be under regular inspection and clearance by the technical person of the company or executed by the Company's nominated technical staff only. The Company shall not be liable for any damage/ fire/accident caused due to such unauthorized tampering/alteration to the property as well as any damage that may be caused to the building/other people's property. The Applicant(s) shall be solely responsible for any/all consequences arising therefrom.
 36. That the structure of the said building to be constructed in the said project will be got insured against fire, earthquake, riots and civil commotion, militant action etc. By the company or the maintenance agency on behalf of the Applicant(s) and the cost thereof shall be payable by the Applicant(s) but contents inside each premises shall be
- बिल्डिंग के प्रयोग व व्यवसायिक प्रयोग हेतु कंपनी द्वारा लिखित रूप से जारी प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर आवेदक वाहन विलेख कार्यान्वित करने का वचन देता है।
21. कंपनी का, भवन योजना पर स्वीकृति/अनुमति मिलने या पर्यावरणीय अनुमोदन की प्राप्ति के 4 वर्षों की वैधता अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, अप्रत्याशित घटना जिसमें हड़ताल, तालाबंदी, न्यायालय निषेधाज्ञा, नागरिक विद्रोह की हालात में या युद्ध, शत्रु अथवा आतंकी गतिविधि, भूकंप, किसी दैवीय आपदा या सरकार तथा/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन की अनुमति/व्यवसाय प्रमाणपत्र बिलंब से जारी करने के कारण, हड़ताल द्वारा आधारभूत सुविधाओं उपलब्ध करने में देरी अर्थात् पानी व सीवर कनेक्शन या थोक बिजली सप्लाई रोड बिलंब होने की स्थिति में भी कंपनी, आवेदक (कों) को उपयुक्त फ्लैट का पड़ेशन देने के प्रति प्रतिबद्ध है और यह इस दिशा में यह उसका एक सच्चा प्रयास है। अतः आवेदक (कों) को इस अपार्टमेंट खरीदार अनुबंध प्रपत्र में अथवा बिक्री करार से संबंधित सभी नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
 22. कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदक (कों) को सूचित किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर फ्लैट / यूनिट का पड़ेशन अपने अधिकार में लेना होगा ऐसा ना करने पर यह समझा जाएगा कि आवेदक फ्लैट / यूनिट का पड़ेशन ले चुका है। ऐसे किसी भी मामले में कंपनी उक्त फ्लैट / यूनिट में होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 23. ओक्यूपेंसी सर्टीफिकेट प्रदान करने की तिथि से 05 वर्षों के लिए कंपनी अपने या अपनी द्वारा नियुक्त अनुरक्षण एजेंसी को माध्यम से कॉमन एरिया (सार्वजनिक क्षेत्र) और परियोजना संबंधी सुविधाओं के संबंध में अनुरक्षण कार्य व सेवाएं प्रदान करेगी। आवेदक (कों) को वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार, खपत हुए पानी और बिजली के शुल्क का भुगतान पोस्ट पेड अथवा प्री पेड मीटरिंग सिस्टम के आधार पर करना होगा। संबंधित अपार्टमेंट के आंतरिक रख-रखाव की एकमात्र जिम्मेदारी स्वयं आवेदक (कों) की होगी। डेवलपर किसी भी परिस्थिति में अपार्टमेंट के आंतरिक रख-रखाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और/या उपर्युक्त 5 वर्षों की समयावधि के पश्चात् उक्त परियोजना को हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित अपार्टमेंट स्वामी संघ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो परियोजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही अनुरक्षण सेवाओं को अपने नियंत्रण में ले लेना और इसके बाद कंपनी पर उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
 24. आवेदक इस बात के प्रति वचनबद्ध है कि वह हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अपार्टमेंट स्वामी संघ का सदस्य बनेगा तथा सभी आवश्यक कदमों का पालन करते हुए जैसा और जहां भी कंपनी द्वारा आवश्यक होगा, दायित्व लेगा और ऐसे सभी अधिनियमों एवं कार्यों जैसे आवश्यक दस्तावेज लागू करना, घोषण, वचन, कार्य आदि का वहन करेगा।
 25. आवेदक (कों) को अपार्टमेंट के पड़ेशन के समय पर डेवलपर को बिजली और पानी के मीटर आदि की लागत का भुगतान करने के साथ-साथ पानी और बिजली के कनेक्शन/प्रो राटा बल्क कनेक्शन शुल्क देना भी अनिवार्य होगा।
 26. आवेदक (कों) को यह मालूम है तथा वह इससे सहमत भी है कि कफायती आवासीय योजना के प्रावधानों के अनुसार भूखंड के ड्रा के माध्यम से फ्लैटों का आबंटन किया जाएगा लेकिन ड्रा के लिए केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो विधिवत् पूर्ण हो तथा योजना में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हो।
 28. उपर्युक्त फ्लैटों को प्रयोग केवल आवासीय उद्देश्य हेतु किया जाएगा किसी भी अन्य प्रयोग के लिए नहीं। आवेदक (कों) आवास इकाई को अलग-अलग भागों में बाँटने या किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाकर एक करने अथवा किसी प्रकार की संरचनात्मक परिवर्धन/एकीकरण का अधिकार नहीं होगा।
 29. उपर्युक्त फ्लैट तथा बिल्डिंग जिसमें आवेदक (कों) को फ्लैट आबंटित किया गया है, दोनों ही हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के प्रावधानों अथवा किसी सांविधिक अधिनियम या परिशोधन के अधीन होगा। कंपनी द्वारा हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के अनुपालन हेतु स्वयं के द्वारा भरे जाने वाले घोषणापत्र में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्रों (कॉमन एरिया) और सुविधाओं एवं प्रत्येक फ्लैट स्वामी का इन सार्वजनिक क्षेत्रों व सुविधाओं पर पूरा अधिकार होगा तथा उक्त अधिनियम 1983 सभी फ्लैट मालिकों पर निष्पक्ष रूप से लागू होगा।
 30. आवेदक फ्लैट खरीदने के लिए किसी भी वित्ति संस्थान/बैंक या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन प्रपत्र के अनुसार दिए गए फ्लैट को खरीदने के इस्करा का आवेदक (कों) की वित्त प्रबंधन योग्यता या क्षमता से कोई संबंध नहीं है क्योंकि आवेदक इस अपार्टमेंट खरीदार अनुबंध प्रपत्र और/या बिक्री/करार के अंतर्गत चाहे तो अपने उक्त फ्लैट/यूनिट को खरीदने हेतु वित्त सहायता/प्रबंध प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन प्रपत्र के अनुसार दिए गए फ्लैट को खरीदने के इस्करा का आवेदक (कों) की वित्त प्रबंधन योग्यता या क्षमता से कोई संबंध नहीं है क्योंकि आवेदक इस अपार्टमेंट खरीदार अनुबंध प्रपत्र और/या बिक्री/करार के अंतर्गत चाहे तो अपने उक्त फ्लैट/यूनिट को खरीदने हेतु वित्त सहायता/प्रबंध प्राप्त कर भुगतान या किसी अन्य कारण, जो भी हो, को वजह से वित्तीय सहायता पर अस्वीकृति/देरी करने पर आवेदक को यह अधिकार नहीं है कि वह किरतों की देरी से अदायगी या अदायगी में चूक होने के बहाने के रूप में इसका प्रयोग करे, जो किरतें शेष रह गई हैं उनमें हुई देरी या चूक के लिए आवेदक को भुगतान नीति (पेमेंट प्लान) के अनुसार 15% प्रतिवर्ष दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा।
 31. आवेदक(कों) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने कार्रवाही के अनुपालन हेतु सभी आवेदनों, कागजातों दस्तावेजों तथा अन्य सभी संगत पत्रों पर जहां भी आवश्यक है वहां हस्ताक्षर किए हैं तथा आयकर अधिनियम 1961 की आवश्यकतानुसार परियोजना में दिए विवरण सहित कंपनी और/या आवेदक(कों) के हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा आपेक्षित सभी नियमों, शर्तों नीतियों का पालन करते हुए सभी कार्य सुचारु रूप से पूर्ण किए हैं।
 32. आवेदक(कों) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने कार्रवाही के अनुपालन हेतु सभी आवेदन, कागजातों, दस्तावेजों तथा अन्य सभी संगत पत्रों पर जहां भी आवश्यक है वहां हस्ताक्षर किए हैं तथा आयकर अधिनियम 1961 की आवश्यकतानुसार परियोजना में दिए विवरण सहित कंपनी और/या आवेदक(कों) के हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा आपेक्षित सभी नियमों, शर्तों नीतियों का पालन करते हुए सभी कार्य सुचारु रूप से पूर्ण किए हैं।
 33. आवेदक(कों) को फ्लैट आबंटित होने के बाद फ्लैट/यूनिट की पड़ेशन लेने की तिथि से 01 वर्ष तक की समयावधि तक यह फ्लैट/यूनिट के हस्तांतरण अथवा बिक्री का अधिकार नहीं रखता। इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर इसे फ्लैट/यूनिट के कुल बिक्री मूल्य का 200% दण्डस्वरूप जुर्माने के तौर पर अदा करना होगा। अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्यानामे (जीपीए) जहां कार्यकारी को या उसकी ओर से किसी अन्य को विचारधीन राशि पास कर दी जाती है तो फ्लैट/यूनिट के हस्तांतरण पर फ्लैट/यूनिट की बिक्री के विषय के रूप में लिया जाएगा और ऐसा होने पर इसे उक्त योजना के नियम व शर्तों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा। ऐसे आवेदक(कों) के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, दण्डनीय कार्रवाही भी की जाएगी। जुर्माना ना भरने पर उपर्युक्त फ्लैट का पुनर्ग्रहण कर लिया जाएगा और कंपनी द्वारा शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार के परामर्श से इसे पुनः आबंटित किया जाएगा।
 34. आवेदक(कों) को कंपनी द्वारा संस्थापित इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अनुरूप ही अपनी इलेक्ट्रिकल लोड की सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर उसका विवरण करना होगा और अपने फ्लैट के पास से सुजरेने वाली सीवेज लाईन को टपकने और रिसाव के मुक्त रखेगा। इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न होने पर कंपनी या अनुरक्षण एजेंसी को उक्त यूनिट में, यदि आवश्यक हुआ तो प्रवेश की अनुमति देकर आवेदक की लागत तथा व्यय पर सभी गैर-अनुकूल फीटिंग व फिक्सचर को सुधारने या हटाने का अधिकार होगा। आवेदक(कों) द्वारा उपर्युक्त नियमों में से किसी को उल्लंघन किए जाने पर कोई हानि अथवा क्षति होने पर स्वयं उत्तरदायी होगा।
 35. आवेदक(कों)/अनुमानित आबंटो ने स्पष्टतया समझा व स्वीकार किया है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल प्वाइंट/गैस पाइंट/पानी के पाईप/किसी अन्य संबंधित सेवाओं में और किसी हिस्से और दीवारों में परिवर्तन या रद्द-बदल कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा तथा कंपनी के तकनीकी कर्मचारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण व क्लियरेंस के बाद ही अथवा केवल कंपनी द्वारा नामांकित तकनीकी स्टाफ द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर ही होगा। कंपनी ऐसे किसी भी अनाधिकृत परिवर्तन/रद्दो-बदल के कारण संपत्ति को किसी भी तरह की कोई क्षति/आग/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। आवेदक इस समस्त परिवर्तन प्रक्रिया में किसी भी/समस्त परिणामों का एकमात्र उत्तरदायी होगा।

- insured by the Applicant(s) at his/her own cost. The Applicant(s) shall not do or permit to be done any act or thing which may render void or voidable insurance of any flat/unit in the said building or any part of the said building or cause increased premium to be payable in respect thereof for which the Applicant(s) shall be solely responsible and liable.
37. The Applicant(s) agrees to strictly comply with the code of conduct that may be determined by the maintenance agency for occupation and use of the said unit and such other conditions as the maintenance agency may deem fit from time to time which may include but not limited to usage of the unit, operation hours of various maintenance services, general compliances for occupants of the unit, regulation as to entry/exit of the visitors, invitees, guests, securities, parking etc. The Applicant(s) understands that the code of conduct that may be specified by the maintenance agency is always subject to change by the maintenance agency.
38. That the company has made it specifically clear to the Applicant(s) that the company shall provide one built-up community hall of not less than 2000sq.ft. and one built-up anganwadi-cum crèche of not less than 2000sq.ft. as community sites in accordance with the provisions of the said policy.
39. That the Applicant(s) confirms that he has understood each and every clause/covenant of this application form and its/legal implications thereon and has clearly understood his obligation and liabilities and the company's obligations and limitations as set forth in this application. The Applicant(s) shall keep the company and their agents and representatives, estate and effects, indemnified and harmless against any loss or damages that the Company may suffer as a result of non-observance or no-performance of the covenants and conditions of this application form.
40. The Company shall endeavour to address and resolve all or any enquiries/complaints/ disputes arising out of or relating to or concerning or touching the requests/concerns/deficiency of service on part of any Company employees/application/agreement to Sell/Conveyance Deed including the interpretation and validity of the terms thereof and the respective rights and obligation of the parties within reasonable time of rising of / enquiry / concerns / disputes to the Head, Customer Care Department or its nominee. If the concerns are not properly addressed even up to 90 days and all efforts failing, the same shall be referred to arbitration. The said time period is to be contingent on the Applicant(s)'s co-operation.
41. The applicant having NRI/PIO status or being foreign nationals shall be solely responsible to comply with the necessary law, rules and formalities as laid down in Foreign Exchange Management Act, 1999 and/or any other statutory provisions governing this type of transaction which may inter-alia involve remittance of payments/considerations and acquisition of immovable assets in India. The applicant agrees that the company shall not be liable in any manner on such account.
42. The applicant agrees that in the event of any dispute or differences arising out or touching upon or in relations to the terms of this Application including the interpretation and validity of the terms thereof and the respective rights and obligations of the applicant and the Company, shall be referred to a Sole Arbitrator mutually appointed by the parties. The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments/modifications thereof for the time being in force. The place of arbitration shall be New Delhi only.
43. Subject to Arbitration clause above, the Courts/Tribunals/ Commissions/Consumer Forums at Karnal only shall have exclusive Jurisdiction in all matters arising out of/touching and/or concerning this transaction/ application.
44. The Company is not required to send reminders/notices to the Applicant in respect of the obligations of the Applicant as set out in this Application and/or the Agreement and the Applicant is required to comply with all its obligations on its own.
45. Singular shall mean and include plural and masculine gender shall mean and include the feminine gender wherever applicable.
46. The Applicant(s) shall get registered his communication address and email address with the company at the time of booking and it shall be the sole responsibility of the Applicant(s) to inform the company about all subsequent changes, if any in his e-mail address/postal address, by e-mail/registered letter and also obtain a formal specific receipt of the same, failing which all communication/letters posted at the first registered e-mail address/postal address will be deemed to have been received by the Applicant(s) at the time, when those should ordinarily reach such address and he shall be responsible for any default in payment and other consequences that might occur therefrom. In all communications, the reference of the project and the allotted unit/flat must be mentioned clearly.

Declaration

I/We have fully read and understood the above mentioned terms and conditions and agree to abide by the same. I/We understand that the terms and conditions given above are of indicative nature with a view to acquaint me/us with the terms and conditions as comprehensively set out in the Agreement to Sell which shall to the extent of any inconsistency supersede the terms and conditions set out in this application.

Signature/ हस्ताक्षर

First/Sole Applicant/ प्रथम/एकमात्र आवेदक

Date/ दिनांक -----

36. उपर्युक्त परियोजना में आवेदक(कों) की ओर से उसके स्वयं के जोखित पर कंपनी या अनुरक्षण एजेंसी उक्त परियोजना में कथित बिल्डिंग की संरचना का निर्माण करेगी जोकि आग, भूकंप, दंगों तथा नागरिक विद्रोह, आतंकी गतिविधि आदि से सुरक्षित होगी। आवेदक ऐसा कोई भी कार्य या परिस्थित उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने की अनुमति दी गई है, जिससे उपर्युक्त बिल्डिंग के किसी भी प्लैट/यूनिट को खाली करने या उसके अमान्य बीमा या उससे संबंधित देय प्रीमियम में वृद्धि हो। यदि ऐसा होता है तो आवेदक स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा।
37. आवेदक(कों) को उपर्युक्त यूनिट के व्यवसाय तथा प्रयोग हेतु अनुरक्षण एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई आचार-संहिता का कड़ा पालन करना होगा तथा अनुरक्षण एजेंसी द्वारा समय समय पर बनाए गए ऐसे अन्य नियमों, जिन्हें यूनिट के प्रयोग, विभिन्न अनुरक्षण सेवाओं के संचालन समय, यूनिट के व्यवसायिकों हेतु सामान्य अनुपालन विनियम जैसे कि आंगतुकों, आर्मेज्त्रियों, अतिथियों, सुरक्षाकर्मियों, पार्किंग आदि तक ही सीमित नहीं रखा है बल्कि व्यापक रूप से शामिल किया गया है, का भी एकनिष्ठ पालन करना होगा। आवेदक(कों) को यह ज्ञात है कि अनुरक्षण एजेंसी द्वारा उल्लिखित आचार संहिता में परिवर्तन का अधिकार केवल अनुरक्षण एजेंसी को है।
38. कंपनी ने आवेदक(कों) को स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी है कि उपर्युक्त योजना के अनुपालन के क्रम में, कंपनी एक निर्मित सामुदायिक सभाभवन (कम्युनिटी हॉल) को 2000 वर्ग फीट से कम माप का नहीं होगा तथा एक ऑगनबाड़ी सह क्लेच, जो 2000 वर्ग फीट में बना है, सामुदायिक स्थलों के रूप में प्रदान करेगा।
39. आवेदक(कों) को यह सुनिश्चित करना है कि उसने इस आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक खंड, अनुच्छेद/नियमों अनुबंधों को भली प्रकार समझा है और इसके/इनके अर्थ से भी वह भली-भांति परिचित है तथा इस आवेदन में निर्धारित अपने एवं कंपनी के दायित्वों व देयताओं को भली प्रकार समझा है। इस आवेदन प्रपत्र में दिए नियमों, अनुबंधों को पालन अथवा व्यवहार में ना लाए जाने पर कंपनी को होने वाली हानि या क्षति के लिए आवेदक कंपनी और उसके अधिकारताओं (एजेंटों) व प्रतिनिधियों चल-अचल संपत्ति का सीधा सुरक्षित तरीके से दृढ़तापूर्वक निर्वाह करेगा।
40. कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी/आवेदन/बिक्री - करार - विलेख सेवाओं व इससे संबंधित शर्तों की विस्तृत व्याख्या और वैधता तथा पार्टियों के अधिकारों व दायित्वों के साथ, प्रदान की जा रही सेवाओं से उत्पन्न, अथवा से संबंधित समस्या को और ध्यान आकृष्ट करने अथवा के विषय में निवेदन/महत्त्व/कमी के बारे में सभी अथवा किसी भी तरह की पुष्टता/शिकायतों/विवादों के उत्पन्न होने के उचित समण के भीतर शीर्ष अधिकारी, ग्राहक सेवा विभाग अथवा इसके किसी मानोनीत अधिकारी, को लिखित रूप से सूचित कर इन पुष्टता/शिकायतों/विवादों के निपटान का प्रयास किया जाएगा। यदि 90 दिनों की समयवधि तक भी इस चिंताजनक विषय की पर्याप्त सूचना नहीं दी जाती है तथा इस दिशा में किए गए सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते हैं तो इस विषय को मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाएगा। उक्त समयवधि सीमा आवेदक(कों) के सहयोग पर निर्भर है।
41. NRI/PIO स्टेटस वाले आवेदक या विदेशी नागरिक विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 में निर्धारित जरूरी कानून, नियम और औपचारिकताओं और/या इस किस्म के ट्रांजेक्शन पर लागू कोई अन्य सांविधिक प्रावधान का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भुगतानों कंसीडरेशन का प्रेषण और भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण शामिल है। आवेदक सहमत है कि ऐसे किसी कारण से किसी भी रूप में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
42. आवेदक की सहमति है कि इस आवेदन की शर्तों के संबंध में उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद, जिसमें शर्तों की व्याख्या और वैधता और तत्संबंधी विवाद और कंपनी और आवेदक के संबंधित अधिकार और दायित्व शामिल हैं, को पक्षों द्वारा पारस्परिक सहमति से नियुक्त एकल मध्यस्थ को रैफर किए जाएंगे। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 या उस समय लागू तत्संबंधी किसी सांविधिक संशोधन/आशोधन के अनुसार की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान केवल नई दिल्ली होगा।
43. उपरोक्त विवचन धारा के अधधीन, इस ट्रांजेक्शन/आवेदन के कारण उत्पन्न/संबंधित किसी मामले में न्याय करने का अधिकार केवल करनाल स्थित न्यायालय / अधिकरण / आयोग / उपभोक्ता फोरम को होगा।
44. कंपनी को इस आवेदन फार्म और/या करार में निर्धारित दायित्वों के संबंध में आवेदक को कोई अनुस्मारक/नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है और आवेदक को स्वतः इन सभी दायित्वों का पालन करना होगा।
45. एकवचन सहित मर्दाना जेंडर का प्रयोग यहां आवश्यकता अनुसार जहां कहीं भी लागू हों बहुवचन व स्त्री जेंडर के अर्थ में भी किया जाएगा।
46. आवेदक(कों) बुकिंग के समय कंपनी में अपना पत्र-व्यवहार का पता तथा ई-मेल पंजीकृत कराना आवश्यक है। पते/ई-मेल में हुए किसी भी परिवर्तन की जानकारी देना आवेदक की जिम्मेदारी होगी तथा उन सभी परिवर्तनों यदि हैं, की सूचना ई-मेल/पंजीकृत पत्र द्वारा देनी होगी तथा इसके प्रमाणस्वरूप एक औपचारिक पावती भी प्राप्त करनी होगी ऐसा ना करने पर सभी तरह के संपर्क/पत्र आवेदक के पहले वाले पंजीकृत ई-मेल पते/डाक पते पर ही भेजे जाएंगे और यह माना जाएगा कि आवेदक(कों) को यथोचित समय पर उनकी प्राप्ति हुई है तथा इस स्थिति में भुगतान में कोई चूक होने एवं अन्य परिणामों के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। आर्बिट्रट प्रोजेक्ट व यूनिट/प्लैट का संदर्भ सभी संपर्क माध्यमों में स्पष्टतया उल्लिखित किया जाना चाहिए।

घोषणा

मैंने/हमने एकत उल्लिखित सभी नियमों व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा व समझा है और मैं/इनका अनुपालन करने के प्रति सहमत हूँ। मैं/हम यह समझते हैं कि उपर्युक्त नियम व शर्तें मुझे/हमें बिक्री के करार के लिए विस्तारपूर्वक नियमों व शर्तों का उल्लंघन होने पर उत्पन्न किसी भी पारस्परिक विरोध या असंगति की स्थिति में प्रभावी होंगे।

Signature/ हस्ताक्षर

Co-Applicant, if any / सह आवेदक, यदि कोई है

Place / स्थान :

FOR OFFICE USE ONLY
सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए

Date/ दिनांक :.....

Application No./ आवेदन सं. :.....

चेक बॉक्स
उपयुक्त बॉक्स पर
✓ का निशान लगाएँ

अग्रिम राशि (लगभग)

टाइप

	₹ 48,553	1BHK Type-I
	₹ 74,066	2BHK Type-I

BOOKING THROUGH

बुकिंग

BANK

बैंक द्वारा

RAS CHANNEL PARTNER

रास चैनल पार्टनर

RAS OFFICE

रास ऑफिस द्वारा

ACKNOWLEDGMENT SLIP

Application No./ आवेदन सं.

Bank Name (if applicable) Branch

Received from Mr./Mrs./Ms. (First applicant)

..... PAN No.

an applicant for allotment of Flat (category of flat) along

with Cheque/Demand Draft No. dated

amounting to Rs. drawn on

..... (Name of the Bank) on account of earnest money.

Date:

Signature & Stamp

For Authorised Banker/

For RAS Developments Pvt. Ltd.



(Note: This affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon. In case of joint application, affidavit to be submitted by both applicant separately)

AFFIDAVIT (FROM SOLE/BOTH APPLICANT)

I _____ S/D/W/O _____
r/o _____, aged _____ years, do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. That the particulars/information given by me in this Application are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.
2. That I am completely aware of and in agreement with the provisions of Affordable Housing Policy, 2013 issued by Haryana Govt. Town and Country Planning Department and notified vide notification no. PF27/48921 dated 19.08.2013 (the Affordable Housing Policy) and undertakes to abide by the provisions of the said policy and any applicable laws, rules, regulations or bye-laws made pursuant thereto or otherwise applicable.
3. That I or my spouse or my dependent child(ren) do/do not own a flat or a plot of land in any colony or sector developed by Haryana Urban Development Authority or in any licensed colony in any of the urban areas in Haryana or in the Union Territory of Chandigarh or in the National Capital Territory of Delhi.
4. That I or my spouse or my dependent child(ren) have not made an application for allotment of flat in another affordable group housing project in Haryana.

Or

I or my spouse or my dependent child(ren) have made an application for allotment of apartment in another affordable group housing project in Haryana, the details of which project is as follows:

Person in whose name application has been made:

Name of the affordable group housing project:

Name of the developer of the said project:

5. I or my spouse or my dependent child(ren) have not been allotted any apartment in another affordable group housing project in Haryana.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at _____ on this _____ day of _____, 2015 that the contents of para Nos. 1 to 5 of above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

(टिप्पणी: यह शपथ रुपये 10/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रुपये 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें। सह आवेदन की स्थिति में प्रत्येक आवेदक कृपया अलग-अलग हलफनामा प्रस्तुत करें)

हलफनामा (एकल / दोनों आवेदक)

मैं _____ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी _____

निवासी _____ आयु _____ वर्ष, इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक निम्नानुसार यह पुष्ट तथा घोषित करता हूँ-

1. इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण/जानकारी सत्य व सही है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।
2. यह कि मैं हरियाणा सरकार के शहर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा जारी किरायायती आवासीय योजना, 2013 एवं अधिसूचित सं. पीएफ27/48921 दिनांकित 19.08.2013 (किरायायती आवासीय योजना) के प्रावधानों के साथ हुए करार के विषय में तथा करार में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है और उपर्युक्त योजना का इसके प्रावधानों तथा अन्य प्रकार से लागू उपनियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।
3. यह कि मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे (चौं) न हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी भी कॉलोनी या सैक्टर में अथवा हरियाणा के किसी भी शहरी क्षेत्र की अनुज्ञाप (लाइसेंस प्राप्त) कॉलोनी में या केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपना कोई निजी फ्लैट या प्लॉट खरीदा है/नहीं है।
4. यह कि मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे (चौं) ने हरियाणा में किसी अन्य किरायायती समूह आवासीय योजना के अंतर्गत फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

अथवा

मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे (चौं) ने हरियाणा में किसी अन्य किरायायती समूह आवासीय योजना के अंतर्गत फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

व्यक्ति, जिसके नाम से आवेदन किया गया है:

किरायायती समूह आवासीय परियोजना का नाम:

उक्त परियोजना की अवस्थिति (लोकेशन):

उक्त परियोजना के डेवलपर का नाम:

5. मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे (चौं) ने हरियाणा में किसी अन्य किरायायती समूह आवासीय योजना के अंतर्गत अपार्टमेंट के आबंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

अभिसाक्षी

प्रमाणन

स्थान _____ दिन _____ दिनांक _____ 2015 को यह प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त हलफनामे की अनुच्छेद सं. 1 से 5 तक की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी



Site Office (Taraori):

Ras Basera, Sector-16, G. T. Road, Taraori, Distt. Karnal (Haryana) - 132 116

Sales Office (Karnal):

Ras Developments Pvt. Ltd., Sector-35, Behind Palm Residency, Karnal (Haryana) - 132001
Ph. No. 0184-6540555 / 666

Head Office (Delhi):

Ras Developments Pvt. Ltd., 812-812 A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019
Ph. No. 46525031



Licence no. : 07 of 2015 dated 30/08/2015 on 7.006 acres in favour of Ras developments pvt ltd to develop a affordable group housing. Total no of flats 1091, provision of community hall, anganwadi/crèche and shopping complex. Building Plan approved vide Memo no ZP-1099/AD(RA)/2015/21319 dated 30-10-2015.

Disclaimer: The contents of this brochure are purely conceptual and do not represent in any manner a legal offering promise. The owners, designated architects and consultants reserve the right to delete, alter, change or replace any details, specifications without notice.